

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि किसी विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की धारा 24 के अधीन यथागठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है;
- (iii) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (iv) "प्राधिकारी" से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (v) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का धारा 22 के अधीन यथागठित प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

- (vi) "निकाय" से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये विश्वविद्यालय के निकाय अभिप्रेत हैं;
- (vii) "सहयोग" से विश्वविद्यालय का अन्य विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय), अनुसंधान संस्थाओं और संगठनों (अनुसंधान, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य) के साथ सहयोगी शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (viii) "घटक महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो तकनीकी शिक्षा देती है और विश्वविद्यालय द्वारा चलायी और संधारित की जाती है और इसमें विश्वविद्यालय का कोई संकाय सम्मिलित है;
- (ix) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (x) "विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित और प्रबंधित कोई विभाग अभिप्रेत है;
- (xi) "निदेशक" से किसी केन्द्र को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की किसी संस्था या विद्यापीठ का प्रबंध बोर्ड द्वारा यथापदाभिहित प्रधान अभिप्रेत है;
- (xii) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;
- (xiii) "सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था" से राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कोई तकनीकी संस्था अभिप्रेत है;
- (xiv) "संस्था" से सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाएं और प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाएं अभिप्रेत हैं;
- (xv) "प्रबंध" से राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के

अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का न्यासी या प्रबंध या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है जिसके प्रबंध के अधीन एक या अधिक महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाएं या अन्य संस्थाएं संचालित की जाती हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाते हैं;

- (xvi) "आर्डिनेन्स" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स अभिप्रेत हैं;
- (xvii) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय, सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (xviii) "गैर-सहायताप्राप्त प्राइवेट तकनीकी संस्था" से तकनीकी शिक्षा का उपाधि या डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अ.भा.त.शि.प. के पूर्व अनुमोदन से किसी प्राइवेट प्रबंध द्वारा स्थापित कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही है;
- (xix) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xx) "परिनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;
- (xxi) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसन्धान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (xxii) "तकनीकी शिक्षा" से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंध, नगर योजना, कम्प्यूटर उपयोजन और अनुप्रयुक्त कलाओं तथा शिल्पों और

ऐसे अन्य कार्यक्रमों, जो अ.भा.त.शि.प. द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किये जायें, में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत हैं;

- (xxiii) "तकनीकी संस्था" से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं अभिप्रेत हैं;
- (xxiv) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (xxv) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित कोई विभाग अभिप्रेत है; और
- (xxvi) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई अध्यापक अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अन्तरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) सामान्यतया अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान के द्वारा मानवता और समझ की अभिवृद्धि के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार, सृजन और अनुरक्षण करना और विशिष्टतया,-
 - (क) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध और अन्य तकनीकी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता और लागत प्रभावी प्रबंध को प्रोन्नत करना;
 - (ख) तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की मांग की गुणवत्ता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर-भीतर तकनीकी शिक्षा के नेटवर्क की व्यवस्था करना;
 - (ग) तकनीकी शिक्षा के लिए निर्णय करने और सूचना प्रणालियों के वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित प्रबंध की प्रणाली सृजित करना;
- (ii) पाठ्यक्रम में अनुप्रयुक्त संघटकों के माध्यम से कार्य संस्कृति का विकास और श्रम की गरिमा को प्रोन्नत करना और छात्रों में उद्यमशीलता को प्रोन्नत करना जिससे तकनीकी शिक्षा को रोजगार चाहने वालों का सृजन करने के बजाय रोजगार सृजन का सबल साधन बनाया जा सके;
- (iii) विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बीच सभी साधनों द्वारा बेहतर परस्पर क्रिया और समन्वय को प्रोन्नत करना, सामान्यतया विश्वविद्यालय के

शासन और तकनीकी शिक्षा में उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं में सुधार करना;

- (iv) समाज के कमजोर वर्गों के बीच आत्मसम्मान और गरिमा की भावना जाग्रत और प्रोन्नत करना;
- (v) छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षणिक और अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक मानदण्ड के रूप में प्रतियोगी गुणागुण और उत्कर्ष के प्रोन्नयन का प्रयास करना;
- (vi) शैक्षणिक उत्कृष्टता की सीमाओं को ग्रामीण, मरुस्थलीय, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित करना;
- (vii) नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्च राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकी के केन्द्र स्थापित करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) अनुसंधान और ज्ञान की समन्वृति तथा प्रसार के लिए उपबंध करना और सामान्यतया तकनीकी शिक्षा और अध्ययन और संस्कृति की अन्य शाखाओं और उनके अन्तर-विषयक क्षेत्रों का संवर्धन और प्रोन्नयन करना;
- (ii) विश्वविद्यालय निवेश में अन्तर-विश्वविद्यालय केन्द्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, आधुनिक उपकरण केन्द्रों जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ.भा.त.शि.प. द्वारा स्थापित इसी प्रकार के विद्या केन्द्रों की स्थापना का उपबन्ध करना जिनका उपयोग किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या उद्योगों के किसी समूह या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जा सके;

- (iii) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाओं या परीक्षणों का संचालन करना और उनके संबंध में शर्तें अधिकथित करना;
- (iv) परीक्षाओं या अन्य परीक्षणों के आधार पर या अन्यथा उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमे, वरिष्ठ माध्यमिकोत्तर डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- (v) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमे और वरिष्ठ माध्यमिकोत्तर डिप्लोमे और प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना, जिन्होंने-
- (क) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है; या
- (ख) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अनुसंधान किया है;
- (vi) परिनियमों में विहितानुसार सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
- (vii) पाठ्यक्रमों या महाविद्यालयों की सम्बद्धता की और प्रबंध की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर संस्थाओं की मान्यता की शर्तें अधिकथित करना और संस्थाओं, संकायों और विषयों के शिक्षा सम्बन्धी संपादन के सन्निधम जो समय-समय पर अधिकथित किये जायें और स्वयं का कालिक निर्धारण द्वारा या अन्यथा यह समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया जाता है;
- (viii) किसी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ.भा.त.शि.प. द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों, यदि कोई हों, के अनुसार

स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या, यथास्थिति, संस्था के रूप में पदाभिहित करना;

- (ix) सम्बद्धता और कालिक प्रत्यायन के लिए सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के शैक्षणिक सम्पादन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;
- (x) जहां कहीं भी आवश्यक हो सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं का तत्प्रयोजन के लिए स्थापित समुचित तंत्र के माध्यम से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण का समुचित स्तर बनाये रखा जाता है और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कार्यशाला और शैक्षणिक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं;
- (xi) न्यासों और विन्यासों को धारित और प्रबंधित करना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्ति पदक और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदान करना;
- (xii) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था, प्राधिकारी या संगठन से सहकार या सहयोग करना और ऐसे प्रयोजनों के लिए कतिपय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, प्राधिकारियों या संगठनों से ऐसे समुचित ठहराव करना जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों;
- (xiii) महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता का विखण्डन करना;
- (xiv) अनुसंधान और विकास, परामर्शों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे खोजी या नवाचारी क्रियाकलापों द्वारा उद्योग,

व्यापार या किसी अन्य गैर-सरकारी संगठनों के और विभिन्न मुवक्किलों को सेवाएं देकर विश्वविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि की संभावनाओं की खोज करना;

- (xv) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन से विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोगी कार्यक्रमों को हाथ में लेना;
- (xvi) सहयोगी कार्यक्रमों के लिए विदेशी एजेन्सियों से, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम, नियम और विनियम के अध्यक्षीन रहते हुए निधियां प्राप्त करना;
- (xvii) विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए आचार संहिता, कार्यभार, संपादन मूल्यांकन के सन्नियमों को सम्मिलित करते हुए सेवा की शर्तें और ऐसे अन्य अनुदेश या निदेश अधिकथित करना जो विश्वविद्यालय की राय में शैक्षणिक स्तर के हित में आवश्यक हों;
- (xviii) तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आधारित परियोजनाओं के विकास कार्यक्रम और संसाधन जुटाने की दृष्टि से फीस प्रभारित करके बाहरी एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेना;
- (xix) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर विनियमित किये जायें;
- (xx) विभिन्न विभाग स्थापित, संधारित और प्रबंधित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों;
- (xxi) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जो उसके समस्त या किन्हीं भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हों; और

- (xxii) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति निर्देश में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों की अनुपालना करना और उनको कार्यान्वित करना।

6. अधिकारिता.- (1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान के संबंध में विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता का प्रसार, इसके समस्त घटक, सम्बद्ध या स्वायत्तशासी महाविद्यालयों और राजस्थान राज्य के भीतर-भीतर ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं, और विभागों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, होगा।

(2) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा-

(क) किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी सरकारी महाविद्यालय को

विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना.- विश्वविद्यालय जाति, वर्ग, पंथ या लिंग पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा:

परन्तु विश्वविद्यालय-

- (i) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को निर्बन्धित कर सकेगा;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, छात्राओं और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा।

8. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

- (क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था या छात्रावास का; या
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेशों का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेशों का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) प्रतिकुलपति;
- (iv) वित्त अधिकारी;
- (v) कुल-सचिव;
- (vi) परीक्षा नियंत्रक;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (viii) सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

10. कुलाधिपति.- (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का/की कुलाधिपति होगा/होगी। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का/की प्रधान होगा/होगी और उपस्थित होने पर उसके दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा/करेगी।

(2) कोई भी सम्मानिक उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्याधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाएं या अभिलेख प्रस्तुत करे जिनकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिणियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा प्रदत्त की जायें।

11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का/की पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा/होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला/वाली या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष

पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला/वाली कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति को, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का/की अध्यक्ष नियुक्त करेगा/करेगी।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा/होगी।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो, तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा/करेगी जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा/करेगी।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का/की सदस्य रहा/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का/की हकदार होगा/होगी।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का/की हकदार होगा/होगी:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का/की प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा/होगी और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा/करेगी।

(2) कुलपति, बोर्ड और विद्या परिषद् का/की पदेन अध्यक्ष होगा/होगी।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा/करेगी और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

(5) कुलपति, इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा/करेगी और उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन

किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा/सकेगी। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा/करेगी।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा/होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा/करेगी जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

13. प्रतिकुलपति.- (1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगा/सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसादानुसार पद धारित करेगा/करेगी।

(4) प्रतिकुलपति एक हजार रुपये प्रति मास का मानदेय प्राप्त करेगा/करेगी।

(5) प्रतिकुलपति, कुलपति का ऐसे मामलों में सहयोग करेगा/करेगी जो कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें।

14. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का/की पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी।

(2) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का/की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा/होगी। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा/करेगी।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव को, राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का/की पदेन सचिव होगा/होगी। वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा/रखेगी जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा/करेगी और समस्त पाठ्य विवरणों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा/रखेगी जो आवश्यक समझी जायें।

(5) कुल-सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें या कुलपति द्वारा समय-समय पर जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

15. वित्त अधिकारी.- (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का/की पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी।

(2) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का/की मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा/होगी। वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा/करेगी।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी को, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) वित्त अधिकारी-

- (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा/देगी और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी;
- (ii) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों और विनिधानों का प्रबंध करेगा/करेगी;
- (iii) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा/रखेगी;
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;
- (v) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा/करेगी जो किसी भी परिनियम के निबंधनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और
- (vi) धारा 45 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा/करेगी।

16. परीक्षा नियंत्रक.- (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का/की पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आर्डिनेन्सों में इस निमित्त किये गये उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का/की पदेन-सचिव होगा/होगी और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिए आबद्ध होगा/होगी जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा/करेगी जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, किन्तु वह इस उप-धारा के आधार पर मत देने का/की हकदार नहीं होगा/होगी।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों पर भी उसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में उसे कुल-सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा/करेगी और उनके लिए अन्य समस्त इंतजाम करेगा/करेगी और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

(6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश के अनुसार से अन्यथा, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा/करेगी।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्य परीक्षा नियंत्रक के पुनः पद ग्रहण करने या, यथास्थिति, रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (i) सम्पदा अधिकारी, और
- (ii) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का/की भारसाधक होगा/होगी।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात:-

- (क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;
- (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;
- (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;
- (घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.- (1) प्रत्येक संकाय का/की एक संकायाध्यक्ष होगा/होगी।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- धारा 9 के खण्ड (ix) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित किया जाये उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा/करेगी।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रबंध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) वित्त समिति;
- (iv) परीक्षा समिति;
- (v) संकाय;
- (vi) अध्ययन बोर्ड; और
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.- (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष-

विश्वविद्यालय का/की कुलपति;

(ख) पदेन सदस्य-

- (i) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;
- (iii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार; और
- (iv) विश्वविद्यालय का/की कुल सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.-

- (1) इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से उस विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(II) (i) और (ii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे के नहीं होंगे;

(ग) नामनिर्देशित सदस्य-

- (i) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए संकायाध्यक्षों में से नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
- (ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
- (iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- (v) राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और
- (vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद; और

(घ) निर्वाचित सदस्य-

विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, घटक महाविद्यालय के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं, उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर तकनीकी शिक्षा की किसी भी

संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

(2) बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का/की अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा/करेगी जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

23. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित और मंजूर करना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियां अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;
- (ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अंतरण स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रशासन करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;

- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उसके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक आवश्यक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों का इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमन और अवधारण करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

24. विद्या परिषद्- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) कुलपति-पदेन अध्यक्ष;
- (ii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (iii) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
- (iv) किसी घटक महाविद्यालय का/की कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक;
- (v) प्रभारी शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;
- (vi) निदेशक, तकनीकी शिक्षा;
- (vii) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (viii) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से

एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

- (ix) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (x) घटक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
- (xi) संबद्ध महाविद्यालयों से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और
- (xii) विश्वविद्यालय का/की कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के खण्ड (v) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से उस विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

- (2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।
- (3) विद्या परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति

होगी।

25. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

- (i) कुलपति-अध्यक्ष;
- (ii) प्रभारी शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;
- (iii) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;
- (iv) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (v) विश्वविद्यालय का/की कुल-सचिव;

(vi) परीक्षा नियंत्रक; और

(vii) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के खण्ड (ii) और (iii) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से उस विभाग का/की प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे अधिकारी को नामनिर्देशित कर सकेगा जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर बोर्ड को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी और किन्हीं भी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रकार नियत सीमाओं का पुनरीक्षण कर सकेगी और नियत सीमाएं बोर्ड पर आबद्ध कर होंगी।

(4) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

26. संकायों की संरचना और कृत्य.- (1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i) संकाय का/की संकायाध्यक्ष- अध्यक्ष;

(ii) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(iv) संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य

और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष; और

(v) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. परीक्षा समिति.- (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों में उपबंधित किया जाये।

(2) समिति, अनुसीमन और सारणीकरण को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का साधारणतया पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्य करेगी, अर्थात्:-

(i) परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और, यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ii) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उस पर विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;

(iv) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति इतनी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे, और विशिष्टतया किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने और उनका विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, परीक्षा समिति के लिए या, यथास्थिति, उप-समिति या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उप-धारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा

यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

28. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों या संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

29. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता/भरती है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो वह बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा, विश्वविद्यालय में कोई भी पद धारण करता है तो वह ऐसा पद तब तक धारण करेगा जब तक कि वह अन्य पद धारण करता/करती है, और तत्पश्चात् तब तक धारण करता रहेगा/करती रहेगी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के

लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्यवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जो, बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

30. विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

31. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

32. पेंशन स्कीम.- विश्वविद्यालय, अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, राज्य सरकार की "नयी पेंशन स्कीम-2004" को अंगीकार करेगा और विश्वविद्यालय के

समस्त अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उक्त स्कीम का विकल्प आज्ञापक होगा।

33. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा संबंधित अध्यापक या अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

34. विश्वविद्यालय निधि.- (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;
- (ii) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- (iii) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो; और
- (iv) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें विश्वविद्यालय निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्ययों की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि में से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

35. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो सकेगी, अर्थात्:-

- (i) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ii) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (iii) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी;
- (iv) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (v) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरण;
- (vi) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(vii) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

36. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

37. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा:-

- (i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (iii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;

- (iv) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;
- (v) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए राज्य सरकार की "नयी पेंशन स्कीम-2004" का अंगीकार किया जाना;
- (vi) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (vii) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (viii) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;
- (ix) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (x) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार और संधारित करना;
- (xi) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं; और
- (xii) ऐसे अन्य समस्त मामले, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या जिनका उपबंध किया जा सकेगा या जो आर्डिनेन्सों या विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

38. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.- (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित या निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर, या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा/सकेगी या उसे रोक सकेगा/सकेगी या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा/सकेगी।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसके लिए अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा/सकेगी और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा/सकेगी या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा/सकेगी।

39. आर्डिनेन्स.- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ii) परीक्षाओं की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या निवास के अन्य स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

- (iv) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण;
- (v) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य मामला जिस पर विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन कार्यवाही की जानी है।

40. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा/करेगी। वह, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा/सकेगी या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा/सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

41. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा:-

- (i) अपनी बैठकों में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने के लिए;
- (ii) ऐसे समस्त मामलों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- (iii) ऐसे किसी भी अन्य मामले का उपबंध करने के लिए, जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित है और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीख का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

42. छात्रों का निवास स्थान.- छात्र, आर्डिनेन्सों द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास-सुविधा में निवास करेंगे।

43. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, प्रयोग में लाये जाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

44. वार्षिक रिपोर्ट.- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व परिचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य

विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

45. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

46. अस्थायी इंतजाम.- (1) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति, अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, कर सकेगा/सकेगी।

47. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.- जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान पद, जो राज्य सरकार निदिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

48. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगा।

49. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा-

- (i) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा, या
- (ii) ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उदभूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों, या

(iii) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, चौदह दिवस की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में, या इस संबंध में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा/करेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के साथ सहबद्ध तकनीकी संस्थाओं की बड़ी संख्या और उन्हें मानीटर करने और उनका नियंत्रण करने में अनुभव की गई असुविधा को देखते हुए, माननीय

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण 2016-17 में बीकानेर में दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है।

राज्य में दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के सृजन से, मानीटर करने और नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से, संस्थाओं तक पहुंच आसान हो जायेगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

किरण माहेश्वरी,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (26) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 प्रेषक: किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

बीकानेर में "बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय" की स्थापना के लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जा रहा है। इसकी अधिनियमिति के पश्चात्, विश्वविद्यालय की

स्थापना के लिए उपगत किये जाने वाले आवर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है। भवन के संनिर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमानित तीस करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और आवर्ती व्यय के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी, जिसमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है। इस व्यय के लिए, पूरक मांग के माध्यम से समुचित उपबंध प्रस्तावित किया जा रहा है।

किरण माहेश्वरी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 37, 39 और 41, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

किरण माहेश्वरी,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 31 of 2017

THE BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY BILL, 2017
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

to establish and incorporate the Bikaner Technical University in the State of Rajasthan for the development of Technical Education.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bikaner Technical University Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— In this Act, unless the subject or context otherwise requires, —

- (i) “Academic Council” means the Academic Council of the University as constituted under section 24;
- (ii) “affiliated college” means a college or institution which has been granted affiliation by the University;
- (iii) “AICTE” means All India Council for Technical Education, established under All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987);
- (iv) “authorities” means the authorities of the University as specified by or under this Act;
- (v) “Board” means the Board of Management of the University as constituted under section 22;
- (vi) “bodies” means the bodies of the University formed by the respective authorities;

- (vii) “collaboration” means collaborative academic activity of the University with other universities, academic institutions (local, regional, national or international), research institutions and organizations (research, agriculture, industry, trade and commerce);
- (viii) “constituent college” means a college or an institution which imparts technical education and is run and maintained by the University and includes a Faculty of the University;
- (ix) “Dean” means head of a Faculty of the University;
- (x) “Department” means a Department established, maintained and managed by the University;
- (xi) “Director” means a head of an institution including a centre, or a school of the University as designated by the Board of Management;
- (xii) “Faculty” means a Faculty of the University;
- (xiii) “Government aided technical institution” means technical institution receiving grant-in-aid from the State Government;
- (xiv) “institutions” means Government aided technical institutions and private unaided technical institutions;
- (xv) “management” means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of any trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Act No. 42 of 1959) or any society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act. No. 28 of 1958) under the management of which one or more colleges or recognized institutions or other institutions are conducted and admitted to the privileges of the University;
- (xvi) “Ordinances” means Ordinances of the University made under this Act;
- (xvii) “Principal” means the Chief Executive Officer of a college, a Government aided technical

- institution or a private unaided technical institution;
- (xviii) “private un-aided technical institution” means an institution set up by a private management with the prior approval of AICTE to conduct degree or diploma level courses of technical education and not receiving grant-in-aid from the State Government;
- (xix) “Regulations” means Regulations of the University made under this Act;
- (xx) “Statutes” means Statutes of the University made under this Act;
- (xxi) “teacher” means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (xxii) “technical education” means programmes of education, research and training in Engineering, Technology, Architecture, Management, Town Planning, Computer Applications and Applied Arts and Crafts and such other programmes as the AICTE may, by notification in the Official Gazette, declare;
- (xxiii) “technical institutions” means institutions conducting programmes in the field of technical education;
- (xxiv) “University” means the Bikaner Technical University established under this Act;
- (xxv) “University Department” means a Department established and maintained by the University; and
- (xxvi) “University teacher” means a teacher appointed by the University.

CHAPTER II

The University

3. Incorporation of the University.– (1) The Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Board and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as

they continue to hold such office or membership, will constitute a body corporate by the name of “Bikaner Technical University” and shall have perpetual succession and a common seal and may by that name sue and be sued.

(2) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the prior approval of the State Government.

(3) The headquarters of the University shall be at Bikaner, which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

4. The objects of the University.- Following shall be the objects of the University, namely:-

- (i) to disseminate, create and preserve the knowledge in the field of technical education for the advancement of mankind and understanding by the teaching, training, research, in general, and in particular:-
 - (a) to promote total quality and cost-effective management of engineering, technology, management and other technical institutions;
 - (b) to provide a network of technical education in the State to meet the demand of quality technical education and research;
 - (c) to create a system of management for technical education based on the scientific tools of decision making and information systems;
- (ii) to develop work culture and promote dignity of labour through applied components in the syllabi and to promote entrepreneurship among students so as to make technical education a valid means of job creation, rather than creating the job seekers;
- (iii) to promote better interaction and co-ordination among different universities and colleges by all such means, generally to improve the governance

- of the University, and facilities it provides for technical education;
- (iv) to generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society;
 - (v) to strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students;
 - (vi) to extend its frontiers of academic excellence to rural, desert, tribal and backward areas;
 - (vii) to set up centres of advanced technology in areas of high national relevance, with a view to fostering innovation and creativity.

5. Powers and duties of the University.- The University shall have the following powers and duties, namely:-

- (i) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge, and generally to cultivate and promote the technical education and other branches of learning and culture and their interdisciplinary areas;
- (ii) to provide for establishment, on the University campus, of autonomous institutions like inter-university centres, research laboratories, modern instrumentation centres and like centres of learning, set up by the Central Government or State Government and University Grants Commission or AICTE, which may be used by a university or college or group of universities or colleges or industries or any Non-Government Organization;
- (iii) to admit students to the various courses of study of the University and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof;
- (iv) to institute and award degrees, post-graduate diplomas, post-senior secondary diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examinations or by other tests or otherwise;
- (v) to hold examinations and confer degrees and post-graduate diplomas and award post- senior

secondary diplomas and certificates and other academic distinctions to, and on, persons, who –

- (a) have pursued a course of study in the University, constituent or affiliated college or institutions; or
 - (b) have carried on research in the University, constituent or affiliated colleges or institutions;
- (vi) to confer honorary degrees or other academic distinctions as prescribed by the Statutes;
 - (vii) to lay down the conditions of affiliation of courses or colleges and recognition of institutions taking into account the credibility of the Management and the norms of academic performance of institutions, Faculties and subjects, as may be laid down, from time to time, and satisfy itself by periodical assessment or otherwise that those conditions are fulfilled;
 - (viii) to designate a University Department, constituent college, affiliated college or institution, as an autonomous University Department, constituent college, affiliated college or institution, as the case may be, in accordance with the guidelines, if any, laid down by the University Grants Commission or AICTE;
 - (ix) to monitor and evaluate the academic performance of affiliated colleges and recognized institutions for affiliation and periodical accreditation;
 - (x) to inspect, where necessary, affiliated colleges and recognized institutions through suitable machinery established for the purpose, and take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained by them, and adequate library, laboratory, hospital, workshop and other academic facilities are provided for;
 - (xi) to hold and to manage trusts and endowments and institute and award fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentship, medals

- and prizes for teachers and students of the University and colleges;
- (xii) to co-operate or collaborate with any other University, institution, authority or organization for research and advisory services and for such purposes to enter into appropriate arrangement with other universities, institutions, authorities or organizations to conduct certain courses as the situation may demand;
 - (xiii) to rescind affiliation granted to colleges;
 - (xiv) to explore the possibilities of augmenting the resources of the University by exploring or innovating activities such as research and development, consultancy, training programmes and providing services for different clients from industry, trade or any other Non-Government Organizations;
 - (xv) subject to any other law for the time being in force, to undertake academic collaboration programmes with universities and institutions abroad, with the approval of the State Government;
 - (xvi) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies subject to any Act, rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf;
 - (xvii) to lay down for University teachers, service conditions including code of conduct, workload, norms of performance appraisal, and such other instructions or directions as, in the opinion of the University, may be necessary in the interest of academic standard;
 - (xviii) to undertake development programmes in technical education, research, consultancy-based projects and training programmes for outside agencies, by charging fees, so as to generate resources;
 - (xix) to fix, demand and receive or recover such fees and other charges as may be regulated by the Statutes, from time to time;

- (xx) to establish, maintain and manage various Departments as may be necessary to fulfil the objects of the University;
- (xxi) to do all such other acts and things as may be necessary for or incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects; and
- (xxii) to comply with and carry out any directives issued by the State Government from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University.

6. Jurisdiction.- (1) With respect to teaching and research in the field of technical education, the territorial jurisdiction of the University shall, notwithstanding anything contained in the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006) or any other law for the time being in force, extend to all its constituent, affiliated or autonomous colleges and to such other colleges, institutes, institutions and departments within the State of Rajasthan as may be specified by notification in the Official Gazette by the State Government.

(2) The State Government may, by order in writing –

- (a) require any institute, institution or college to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other university incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government college to be a constituent college of the University. The land, buildings, laboratories, equipments, books and any other properties of such college shall then vest in the University and the teachers, officers and other employees of

such college, after being found suitable through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or as the case may be, employees of the University.

7. University to be open to all classes and creeds.- The University shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex:

Provided that the University may -

- (i) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the University;
- (ii) make reservations in favour of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, girl students and other categories in accordance with any law or orders of the State Government for the time being in force.

8. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct—

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments;
or
- (b) of any institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit so fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

CHAPTER III

Officers of the University

9. Officers of the University.- The following shall be the officers of the University, namely:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-Chancellor;
- (iv) the Finance Officer;
- (v) the Registrar;
- (vi) the Controller of Examination;
- (vii) the Deans of the Faculties;
- (viii) the Estate Officer and Dean of the Students Welfare;
- (ix) such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

10. The Chancellor.- (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He or she shall, by virtue of his or her office, be the Head of the University and shall when present, preside at the convocations thereof.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University, as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him or her by this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder.

11. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he or she is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of –

- (a) one person nominated by the Board;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairperson of the Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

12. Powers and duties of the Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairperson of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration matters of concern to the University. He or she shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(7) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such authority, require the authority to review its action or order. In case the authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be

referred to the Board or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of teachers, officers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

13. The Pro-Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor, if he or she considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his or her duties as a professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of rupees one thousand per month.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him or her by the Vice-Chancellor.

14. Registrar.- (1) The Registrar shall be the whole time officer of the University.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He or she shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers in the services of the State of Rajasthan.

(4) The Registrar shall be responsible for the custody of the records and the common seal of the University. He or she shall be *ex-officio* Secretary of the Board and Academic Council. He or she shall place before it all such information as may be necessary for

the transaction of its business. He or she shall receive applications for entrance to the University and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other information as may be deemed necessary.

(5) The Registrar shall perform such other duties as may be prescribed by Statutes or Ordinances or required of him or her from time to time by the Vice-Chancellor.

15. Finance Officer.- (1) The Finance Officer shall be the whole time officer of the University.

(2) The Finance Officer shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He or she shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Finance Officer shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service.

(4) The Finance Officer shall -

- (i) advise in regard to the financial policy of the University and be responsible for the preparation of its budget and for the presentation thereof to the Board through the Vice-Chancellor;
- (ii) manage the properties, movable and immovable, and investments of the University;
- (iii) keep all moneys belonging to the University in a Scheduled Bank or in the Rajasthan State Co-operative Bank Limited, or Central Co-operative Bank except the amounts needed as imprest cash (to be prescribed by the Vice-Chancellor) in transacting business of the University;
- (iv) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
- (v) disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statutes or for which provision is required to be made by the Statutes but has not been made; and
- (vi) ensure the compliance of the provisions of section 45.

16. The Controller of Examination.- (1) The Controller of Examination shall be a whole time officer of the University.

(2) The Controller of Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor in accordance with the provision of Ordinances made in this behalf with approval of the Board.

(3) The Controller of Examination shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his or her work. He or she shall be *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for the transaction of its business. He or she shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or as may be required, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor but he or she shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examination shall have administrative control of Examinations and over the employees working under him or her and have, in this regard, all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examination shall conduct the examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examination shall not be offered nor shall he or she accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examination is, for any reason, unable to act or the office of the Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his or her duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

17. Estate Officer and Dean of Students Welfare.- (1) The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (i) The Estate Officer, and
- (ii) The Dean of Students Welfare.

(2) The Estate Officer shall be incharge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Students Welfare shall have the following duties, namely:-

- (a) to make arrangements of the housing of students;
- (b) to direct a programme of students counselling;
- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor;
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students;
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University; and
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

18. Deans of Faculties and their functions.- (1) There shall be a Dean of each Faculty.

(2) The Deans of Faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

19. Other officers and employees.- The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (ix) of section 9 and of the employees of the University shall be such as provided in this Act or as prescribed by Statutes, Ordinances and Regulations.

20. Remuneration of officers and employees.- No officer or employee of the University shall be offered nor shall he or she accept any remuneration for any work in the University save as may be provided for in the Statutes.

CHAPTER IV

Authorities of the University

21. Authorities of the University.- The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Board of Management;
- (ii) the Academic Council;
- (iii) the Finance Committee;
- (iv) the Examination Committee;
- (v) the Faculties;
- (vi) the Boards of Studies; and

- (vii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22. Constitution and composition of the Board of Management.- (1) The Board shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following as members, namely:-

(a) Chairperson:-

the Vice-Chancellor of the University;

(b) *Ex-officio* Members:-

- (i) the Secretary to the Government in-charge of Finance Department;
- (ii) the Secretary to the Government in-charge of Technical Education Department;
- (iii) the Director of Technical Education, Government of Rajasthan; and
- (iv) the Registrar of the University, Member-Secretary.

Explanation .-

- (I) For the purpose of this clause, expression “the Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he or she is in-charge of a Department.

- (II) *Ex-officio* members mentioned at (i) and (ii) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of Deputy Secretary to the Government;

(c) Nominated Members:-

- (i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year;
- (ii) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor for one year;
- (iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;

- (iv) two Principals of affiliated colleges, one from the Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government for one year;
- (v) two members of State Legislature to be nominated by the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly for three years; and
- (vi) two eminent educationists, to be nominated by the State Government for three years; and

(d) Elected Members:-

two teachers of the University or its constituent colleges who have put in not less than seven years teaching experience in any institution of higher technical education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Directors of the constituent colleges, to be elected by the teachers of the University and its constituent colleges from amongst themselves for three years.

(2) One third of the members of the Board shall constitute the quorum for a meeting.

(3) The Chairperson of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed by the Statutes.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed by the Statutes.

(5) The minutes of meetings of the Board shall be recorded and maintained by the Member-Secretary of the Board.

23. Duties and functions of the Board.- Subject to other provisions of this Act, the duties and functions of the Board shall be as follows:—

- (a) to approve and sanction the budget of the University;
- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for the specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed by the Statutes;
- (g) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as it deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner specified in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

24. Academic Council.- (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor-*ex-officio* Chairperson;
- (ii) the Deans of Faculties;
- (iii) one Professor from each Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (iv) one Principal/ Director of a constituent college to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (v) the Secretary to the Government in-charge of Technical Education Department;
- (vi) the Director, Technical Education;
- (vii) the Chairpersons of Boards of Studies;
- (viii) two Principals of affiliated Colleges, one from Government Colleges and another

- from Private Colleges, to be nominated by the State Government;
- (ix) two persons having special attainment in the field of the studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
 - (x) one teacher other than the Professors, from a constituent college or University Department having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (xi) one teacher other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government; and
 - (xii) the Registrar of the University, Member-Secretary.

Explanation.- For the purpose of clause (v) of this sub-section expression “the Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he or she is in-charge of a Department.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

(3) One third of the members of the Academic Council shall constitute the quorum for a meeting.

25. The Finance Committee.- (1) The Finance Committee shall consist of—

- (i) the Vice-Chancellor- Chairperson;
- (ii) the Secretary to the Government in-charge of Technical Education Department;
- (iii) the Secretary to the Government in-charge of Finance Department;
- (iv) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (v) the Registrar of the University;
- (vi) the Controller of Examination; and

- (vii) the Finance Officer, who shall also be the Secretary of the Committee.

Explanation.- For the purpose of clauses (ii) and (iii) of this sub-section expression “the Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of the Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he or she is in-charge of a Department.

(2) A member referred to in clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, nominate an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government, to act on his behalf.

(3) The Finance Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resource of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits fixed shall be binding on the Board.

(4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

26. Composition and functions of Faculties.- (1) There shall be such Faculties in the University as may be prescribed by the Statutes.

- (2) Each Faculty shall consist of the following:-
- (i) the Dean of the Faculty – Chairperson;
 - (ii) the University Professors of the subjects assigned to the Faculty;
 - (iii) the Chairpersons of the Boards of Studies in the Faculty;
 - (iv) one Post-graduate College Principal and one Post-graduate Department Head in each subject of the Faculty from affiliated colleges, nominated by the State Government; and
 - (v) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) Faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

27. Examination Committee.- (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely:-

- (i) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;
- (ii) to review from time to time the result of the University examinations and submission of report thereon to the Academic Council;
- (iii) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
- (iv) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3) to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

28. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University Departments or in colleges or institutions.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

29. Supplementary provisions relating to membership.-

(1) All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment, nomination or election

according as the member whose place became vacant was appointed, nominated or elected and the person appointed, nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he or she fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long as he or she holds the other office and thereafter till his successor is duly nominated, appointed or elected.

(3) The Board may remove any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or any employee of the University on the ground that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming the prestige of the University:

Provided that no such person or employee shall be removed under this sub-section unless he or she has been afforded a reasonable opportunity by the Board, to show cause as to why he should not be so removed and such cause has been considered:

Provided further that prior approval of the State Government will be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed, nominated or elected, as or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his or her decision, and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

30. Proceedings of University authorities and bodies not to be invalidated by reason of any vacancy.— No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalidated by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

31. Age of retirement.— Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State

Government in this regard all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

32. Pension Scheme.- The University shall adopt for the benefit of its teachers, officers and other employees of the University, the “New Pension Scheme-2004” of the State Government and it shall be mandatory for all the teachers, officers and employees of the University to opt for the said Scheme.

33. Teachers and Officers of the University.- (1) Save as otherwise provided in this Act, the appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities’ Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

34. University Fund.- (1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University Fund.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University Fund, namely:-

- (i) any contribution or grant by the State Government;
- (ii) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (iii) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any; and
- (iv) such other moneys as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matters to which the University Fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

(4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University Fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

35. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (i) creating of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (ii) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (iii) grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (iv) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (v) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (vi) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (vii) taking of any decision regarding affiliated colleges resulting in increase of financial liability, direct or indirect, on the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may in long term likely to cause financial implications to the State Government.

36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the

State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

37. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall in particular provide for the following:-

- (i) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (ii) the appointment, nomination or election and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (iii) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University;
- (iv) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
- (v) the adoption of the “New Pension Scheme-2004” of the State Government for the benefit of teachers, officers and other employees of the University;
- (vi) the conferment of honorary degrees;
- (vii) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of Departments;
- (viii) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (ix) the moneys to form part of and to be paid into the University Fund and the matters to which the Fund may be applied and appropriated;
- (x) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;
- (xi) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and
- (xii) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed

otherwise than by the Ordinances or the Regulations.

38. Statutes how made.- (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter provided.

(2) The Board may take into consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his or her assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statutes passed by the Board shall be valid or shall come into force until they are assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either *suo motu* or on the advice of the State Government, may, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him or her and if the Board fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

39. Ordinances.- Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) the courses of study, admission or enrolment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (ii) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (iii) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefor and other related matters;
- (iv) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University; and

- (v) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinance of the University.

40. Ordinances how made.- (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matters shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he or she shall, as soon as possible, inform the Board of his or her objection to it. He or she may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his or her decision shall be final.

41. Regulations.- (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances –

- (i) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (ii) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulations; and
- (iii) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

42. Residence of Students.- The students shall reside in accommodation provided by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions prescribed by the Ordinances.

43. Delegation of Powers.- The Board may by Statutes delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed in the Statutes.

44. Annual Report.- The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

45. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accrued to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Finance Officer shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget of the University for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the budget of the University prepared by the Finance Officer shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Finance Officer who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

46. Temporary arrangements.- (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor to carry on the duties of any such Authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments, subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointments.

47. Reference to government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding officers.- Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then, if that designation is altered or that office ceases to exist, the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding office as the State Government may direct.

48. Residuary provisions.- The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt with in this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final.

49. Removal of difficulties.- (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in the areas and in the matters covered by this Act, by order published in the Official Gazette, –

- (i) direct that this Act shall during such period, as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act as it may deem fit to be necessary or expedient, or
- (ii) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act, or
- (iii) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any such order should not be made, such order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter may be referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall, after taking such advice from the State Government as he or she deems necessary, decide the question and his or her decision shall be final.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the large number of Technical Institutions affiliated with Rajasthan Technical University, Kota and inconvenience experienced in monitoring and controlling Hon'ble C.M. has announced in Budget Speech 2016-17 to establish another Technical University at Bikaner.

Creation of the second Technical University in State will provide easy access to the institutions from monitoring and controlling point of view.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

किरण माहेश्वरी,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल
महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (26) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल,
2017 प्रेषक: किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: सचिव, राजस्थान
विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में,
मैं, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को राजस्थान
विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bikaner Technical University, Bill, 2017 is being introduced to establish “The Bikaner Technical University” at Bikaner. After its enactment recurring expenditure to be incurred for the establishment of the University has been computed. An estimated rupees Thirty crore will be required for construction of building and development of basic infrastructure and approximately Rupees Three crore per year may be required for recurring expenditures, which may grow with time. For this expenditure, appropriate provision is being proposed through supplementary demand.

किरण माहेश्वरी,

Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clauses 37, 39 and 41 of the Bill, if enacted, shall empower the Authorities of the University to prescribe Statutes, Ordinances and Regulations respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

किरण माहेश्वरी,
Minister Incharge.

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री)

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to establish and incorporate the Bikaner Technical University in the State of Rajasthan for the development of Technical Education.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Kiran Maheshwari, **Minister-Incharge**)